30/05/22- पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादीगण अनुपस्थित। वादीगण अनुपस्थित। वादीगण को मय अधिवक्ता कोर्ट समय में तीन बार तीन-तीन आवाजें दिलाई गयी। बावजूद आवाजें दिलाने के वादीगण व वादीगण के अधिवक्ता अनुपस्थित। अत: उक्त उनवान प्रकरण वादीगण की अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

[signature]

सहायक कलेक्टर, गुड़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:04:18 IST
Reason: SelfAttested

सेवामे,

श्रीमान सहायक कलेक्टर (S.D.O.)महोदय,

गुडामालानी

वादीगण–

1. फुसाराम पुत्र भोमाराम (फौत) के कायम मुकाम

1/1 खेताराम पुत्र फुसाराम उम्र 40 वर्ष

2. हंसाराम पुत्र भोमाराम उम्र 70 वर्ष

जाति भील निवासी बारासण तहसील गुडामालानी

3. मोडुराम पुत्र कुष्टाराम उम्र 48 वर्ष

4. श्रीमति गवरी देवी पत्नि कुष्टाराम उम्र 80 वर्ष

जाति भील निवासी भाखरपुरा तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. आदुराम पुत्र मानाराम उम्र 50 वर्ष

2. बाबु पुत्र मानाराम उम्र 45 वर्ष

3. मनजी पुत्र रावताराम उम्र 65 वर्ष

जाति भील निवासी भाखरपुरा तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर

4. तहसीलदार गुडामालानी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 रा0 का0 अधि0 वास्ते घोषणा, बंटवाडा, एवं पाने स्थाई निषेधाज्ञा

महोदयजी,

वादीगण की [illegible] निम्न प्रकार से है कि “सशोधित शीर्षक” श्रीमान जी के [illegible] है जिसे रिकॉर्ड पर लिया जाने का आदेश किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:04:18 IST
Reason: SelfAttested

इति दिनांक – 23/03/2020

(वकील वादीगण)

बीघा कुल रकबा 07 बीघा के आये हुऐ है। वर्तमान जमाबंदी एवं आंशिक नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति संलग्न पेश है।

2. कि विवादित भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को पैतृक रूप से प्राप्त हुई थी, जिस पर वक्त सेन्टलमेंट के समय वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पूर्वजों का कब्जा काश्त था तथा उनके नाम से पर्चा लगान जारी हुआ था तथा वर्तमान में उनके के फौत होने पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हुआ तथा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त है वादग्रस्त समस्त भूमि में वादीगण संख्या 1 व 2 का 1/4 हिस्सा, वादी संख्या 3 व 4 का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का 1/4 हिस्सा पैतृक खातेदारी का था। इसी हिस्सों के माफिक वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 का विवादित भूमि पर काबिज है तथा अपनी रहवासी ढाणिया, चारबाडे, पशुबाडे व टांके बने हुऐ है।

3. कि विवादित भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के नाम संयुक्त रूप से दर्ज है तथा वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के बीच में हिस्से पूर्ण रूप से खुल्ले हुए नहीं होने के कारण खेत के हिस्सों व कब्जा काश्त को लेकर विवाद रहता है एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के द्वारा वादीगण के हिस्से एवं उसके कब्जे काश्त की भूमि में लगातार दंखल अन्दाजी कर रहे है [illegible] भूमि का विधिवत रूप से बंटवाडा नहीं किया हुआ है इसलिये [illegible] प्रत्येक इंच की भूमि की भूमि समान हक व हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा भूमि का बिना विभाजन करवाये बिना बेचान करने पर आमादा है तथा इस तथ्य को लेकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य तनाव की स्थिति बनी रहती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:04:18 IST
Reason: SelfAttested